आहीन
07.2.2025

2025/03

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

बीरबल बनाम धर्मपाल

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 03 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07.01. 2025	प्रार्थी बीरबल की तरफ से वकील श्री राकेश कुमार भाकर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 3 जेबीडी के खाता सं. 58/145 के प.नं. 234/45(63) कि.नं. 20, 21/2 की 0.481 है., खाता सं. 59/42 के प.नं. 234/45(63) कि.नं. 6/1, 6/2, प.नं. 234/61(65) कि.नं. 18, 19/2, 23/1, प.नं. 234/62(82) कि.नं. 3 की 1.113 है., चक 4 जेबीडी के प.नं. 235/47 (109) कि.नं. 1 ता 20, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 की 5.920 है. भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहे। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 07.02.2025 को पेश हो (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
7.2.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र में राजीनामा होने के कारण प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते हैं अतः प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर [illegible] नवलीत वकील बाद दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	प्रा.पत्र नहीं चलाना चाहते है। Rakesh Kumar 07/2/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.02.17 20:15:25 IST
Reason: SelfAttested